

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 62/2024
अनवान : -

1. सुमित्रा पुत्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील नोहर।

-प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 23/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स० 74/74 की कुल 5.4250 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम सुमिता दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सुमित्रा है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तोवेजात में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीया मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम सुमिता के स्थान पर सुमित्रा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया का मुताबिक दस्तावेज नाम दुरुस्त करे देवे जिससे प्रार्थीया का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम सुमिता दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सुमित्रा है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तोवेजात में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीया मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम सुमिता के स्थान पर सुमित्रा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 74/74 की कुल 5.4250 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीया अपना नाम सुमिता के स्थान पर सुमित्रा दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा दर्ज है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 74/74 की कुल 5.4250 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम सुमिता के स्थान पर सुमित्रा का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम सुमिता के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के नाम सुमिता के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सुमिता ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

aj
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/1241

दिनांक : 24/12/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :- प्रकरण स0 62/2024 अनवानी सुमित्रा बनाम

सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या - 62/2024

अनवान : -

1. सुमित्रा पुत्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील नोहर।

-प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 74/74 की कुल 5.4250 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम सुमिता के स्थान पर सुमित्रा का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम सुमिता के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के नाम सुमिता के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सुमिता ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

AJ.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर